

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची
प्रबंध निदेशक,

झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम (लि.),
(झालको), संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 30-3-14

विषय :-


माँग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-101-सतही जल, उप शीर्ष-19-नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-50P470200101190545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-2014 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।


महाशय,


वित्तीय वर्ष 2013-2014 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड में दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1	50-लघु सिंचाई विभाग/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल/ 19-नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण, 45-मुख्य निर्माण 50P470200101190545	0.00
अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ शून्य मात्र।				

- आवंटित राशि वर्ष 2013-2014 के संशोधित बजट उपबंध रु. 275.00 लाख (दो करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जाएगा।
- प्रबंध निदेशक, झालको द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति में निहित निदेशों/शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- कार्यों की जाँच जिला में कार्यरत लघु सिंचाई प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा एवं उनके स्तर से नियमित जाँच प्रतिवेदन मुख्य अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग को प्रेषित किया जाएगा।
- अधीक्षण अभियंता मोनिटरिंग अंचल-3 एवं मुख्य अभियंता, मोनिटरिंग कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता



(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि.)

9. आवंटित राशि के 70% का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही शेष राशि आवंटित की जायेगी।
10. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
11. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रबंध निदेशक झालको (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. प्रबंध निदेशक, झालको प्रस्तावित कार्य हेतु आवंटित राशि को पी. एल. खाता में जमा करेंगे।
16. इस राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, झालको एवं संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
17. कार्य को डिपोजिट वर्क (Deposit Work) के रूप में कराया जाएगा।
18. कंडिका 14 से 16 तक के प्रावधान केवल झालको के आवंटन में लागू रहेंगे।
19. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त



30/3/17
(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 297

राँची, दिनांक :- 30-3-17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड; पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/कोडरमा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त



30/3/17
(अविनाश कुमार)
सचिव


ज्ञापांक :- 297


राँची, दिनांक :- 30-3-17


प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(अविनाश कुमार)
सचिव

पत्रांक: - 297

/संघी, दिनांक-

30-3-14

परिशिष्ट-1

मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग
मुख्य शीर्ष - 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परियय
लघु शीर्ष -101-सतही जल,
उपशीर्ष - 19-नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य
विपत्र कोड-50P470200101190545
संशोधित उपबंध (वर्ष 2013-14) रु. 275.00 लाख (दो करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र।

(राशि - लाख ₹ में)

क्र०	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14 में निर्गत आवंटन					अभ्युक्ति			
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	प्रत्यर्पण	अतिरिक्त आवंटन	शुद्ध आवंटन	कुल आवंटित राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	प्रबंध निदेशक झालको	पलामू	सतबरवा	बंशी नाला पर चेकडैम निर्माण	21/5.7.13	37.420	0.000	166.00	0.00	40.00	40.00	206.00				
2			सतबरवा	भलवाही नाला पर चेकडैम निर्माण		41.180	0.000									
3			सतबरवा	पपली नाला पर चेकडैम निर्माण		45.450	0.000									
4			पाँकी	नगरी नाला पर चेकडैम निर्माण		38.900	0.000									
5			छत्तरपुर	वाँकी नदी पर चेकडैम निर्माण		45.330	0.000									
6			छत्तरपुर	गटीघाट नाला पर चेकडैम निर्माण		39.460	0.000									
7			पाँकी	रतनपुर नाला पर चेकडैम निर्माण		37.360	0.000									
योग						166.00	0.00	40.00	40.00	206.00						

(आंकार नाथ)

सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि.)

(शिवानन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि.)


(अविनाश कुमार)


सचिव


(राशि - लाख ₹ में)


क्र०	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14 में निर्गत आवंटन					अभ्युक्ति	
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	प्रत्यर्पण	अतिरिक्त आवंटन	शुद्ध आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	खरकोटा उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण	44 / 13-14 दि 20-22.10.13	41.173	0.000	40.000	40.000	0.000	-40.000	0.000		
2			कोडरमा	खरखरो उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		40.009	0.000							
3			कोडरमा	बेलाडीह उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		40.858	0.000							
4			मरकच्चो	बहादुरपुर उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		40.440	0.000							
योग								40.00	40.00	0.00	-40.00	0.00		
कुल योग								206.00	40.00	40.00	0.00	0.00	206.00	

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ शून्य मात्र।


(ऑफर नाथ)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौंसिया)
उप सचिव (अभि.)


(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि.)


298
30.3.2014
(अविनाश कुमार)
सचिव